

उत्तर प्रदेश शासन

धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या- 08/2015/909/2015/57/2015-51(जी)/2013

लखनऊ दिनांक:10 सितम्बर, 2015

विज्ञापन/प्रकीर्ण

विषय: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को शासकीय व्यय पर तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) तीर्थ यात्रा कराये जाने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे के उपक्रम-इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड ट्रॉरिज्म कारपोरेशन (आई0आर0सी0टी0सी0) लि0- के सहयोग से तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) की निःशुल्क तीर्थ यात्रा, शासकीय व्यय पर, कराये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के अधीन प्रदान करते हैः-

- 1- यह यात्रा ३० प्र० के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों हेतु अनुमन्य होगी।
- 2- यह यात्रा आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।
- 3- चयनित यात्रियों को एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा, जिसे आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा रेलवे से चार्टर किया जाएगा, लखनऊ से तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) तक यात्रा कराई जाएगी।
- 4- इस यात्रा हेतु चयनित यात्रियों को यात्रा के दौरान सामान्य श्रेणी की सुविधायें अनुमन्य होंगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेवेल किट उपलब्ध कराई जाएगी।
- 5- यात्रियों को उनके गृह जनपद से लखनऊ तक आने-जाने की निःशुल्क व्यवस्था ३० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कराई जायेगी।
- 6- यात्रियों को नियत मेन्यू, जिसमें सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना, शाम की चाय एवं रात का खाना समिलित है, उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों को सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7- गाड़ी के प्रत्येक कोच में एक दूर सहचर की व्यवस्था रहेगी, जो यात्रियों की देखभाल, उनकी समस्याओं का तुरन्त निस्तारण, सूचना एवं अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध रहेगे।
- 8- प्रत्येक कोच में एक निःशस्त्र सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रहेगी। स्टेशन पर एवं ट्रेन में किसी सुरक्षा संबंधी समस्या होने पर रेलवे सुरक्षा बल (आर0पी0एफ0) व राजकीय रेलवे पुलिस की मदद ली जा सकती है।
- 9- पूरी ट्रेन की साफ-सफाई, विशेष रूप से टॉयलेट की सफाई हेतु उपयुक्त संख्या में सफाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कर्मचारी, सफाई सामग्री के साथ उपलब्ध रहेंगे।

10- यात्रा के दौरान ट्रेन में समय-समय पर उदघोषणा हेतु लोक उदघोषणा प्रणाली (पी0ए0 सिस्टम) की व्यवस्था की जाएगी।

11- ट्रेन में कुल 1044 यात्रियों के लिए बर्थ आरक्षित रहेगी। प्रत्येक स्लीपर कोच में एक बर्थ सुरक्षा कर्मी एवं एक बर्थ दूर सहचर के लिए निर्धारित की जाएगी। एक केबिन (6 बर्थ) आई0आर0सी0टी0सी0 स्टाफ हेतु आरक्षित होगा।

12- यात्रा के दौरान आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा प्रत्येक यात्री का यात्रा दुर्घटना बीमा कराया जायेगा।

13- तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम् (तमिलनाडु) की 09 दिवसीय यात्रा दिनांक: 26 नवम्बर, 2015 से 04 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्तावित हैं ।

14- यात्रा हेतु इच्छुक यात्री वेबसाइट <http://samajwadishravanyatra.upgov.info> पर अपना आवेदन सभी सम्बन्धित/वांछित अभिलेखों सहित Upload कर दिनांक- 15-10-2015 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

15- अन्य इच्छुक यात्री अपना आवेदन, मूल रूप में सभी सम्बन्धित/वांछित अभिलेखों सहित, अपने जिले के जिलाधिकारी को विलम्बतम दिनांक-01-11-2015 तक उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ, आवेदक द्वारा, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र या पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, एवं यात्रा की उपयुक्तता हेतु यात्री द्वारा स्वयं की शारीरिक दक्षता के सम्बन्ध में अपने जनपद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो अनिवार्य रूप से मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना होगा।

16- समस्त जिलों के जिला अधिकारी, द्वारा ऑफ लाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर, उनके प्राप्त होने की तिथि तथा समय अंकित कराया जायेगा। तदुपरान्त सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा अपने जिले से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को तत्काल उपरोक्त वर्णित वेबसाइट (क्रमांक-14) पर फीड कराया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची में से यात्रा हेतु यात्रियों का चयन उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता के आधार पर तथा पहले आओं पहले पाओं के सिद्धान्त पर उपरोक्त वर्णित वेबसाइट (क्रमांक-14) पर किया जायेगा। सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा इस प्रकार चयनित यात्रियों की सूची के अतिरिक्त शेष बचे यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार करायी जायेगी। प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आगामी प्रस्तावित यात्रा में अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त यात्रा हेतु पूर्व की अजमेर शरीफ एवं पुष्कर यात्रा की प्रतीक्षा सूची के इच्छुक व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलों के जिला अधिकारियों को उपरोक्त वेबसाइट/ यू0आर0एल0 हेतु यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में किसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

तकनीकी कठिनाई के निराकरण के सम्बन्ध में मो0नं0- 9454419661 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

17- समाजवादी श्रवण यात्रा का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा अर्थात् जो मूल एवं वरिष्ठ नागरिक पूर्व की समाजवादी श्रवण यात्रा कर चुके हैं, उन्हें वर्तमान (तिरुपति एवं रामेश्वरम्) यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा।

18- यात्रा हेतु इच्छुक यात्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना मोबाइल नं0 आवेदन पत्र में अवश्य अंकित करेंगे जिससे उन्हें यात्रा से सम्बन्धित जानकारियां TEXT SMS/VOICE SMS के माध्यम से भी प्रदान की जा सके।

19- प्रत्येक जनपद से अधिकतम 10 यात्रियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष यात्रियों का चयन शासन स्तर से किया जायेगा। यात्रा के दौरान चार चिकित्सक व छ: नर्स चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी जिनके लिए कुल 10 बर्थ आरक्षित होंगी। शेष सीटे धर्मार्थ कार्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु आरक्षित होंगी।

20- जिला अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे चयनित यात्रियों के आवेदन पत्र मूलरूप में शासन को उपलब्ध करायेंगे।

21- चयनित यात्रियों को उनके चयन एवं अन्य संबंधित सूचनायें जिला अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

22- यात्रियों की सुविधाओं के लिए दो हेल्पलाईन नम्बर यथा 0522- 2992932, 9196042365 उपलब्ध होंगे।

23- यात्रा हेतु स्थानीय मौसम के इष्टिगत यात्रियों को परामर्श दिया जाता है कि आवश्यक वस्त्रादि को साथ रखना स्वयं सुनिश्चित करें।

24- यात्रा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

25- यात्रा के दौरान किसी यात्री की मृत्यु होने पर धर्मार्थ कार्य विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

26- उक्त यात्रा पर आने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धार्मिक प्रयोजनों के लिए दान-05-प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा-42-अन्य व्यय के मद से वहन किया जाएगा।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- (1)/2015/909(1)/2015/57/2015-51(जी)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, ३० प्र० शासन।
- 2- मुख्य सचिव, आन्ध्रप्रदेश।
- 3- मुख्य सचिव, तमिलनाडु।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ३० प्र० शासन।
- 5- मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आई०आर०सी०टी०सी०।
- 6- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, ३० प्र० शासन।
- 7- महानिदेशक, पर्यटन ३० प्र० शासन।
- 8- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद ३० प्र०।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त ३० प्र०।
- 10- प्रतिलिपि समस्त जिला अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे इच्छुक यात्रियों के आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर उनकी संवीक्षा कर निर्धारित चयन मानकों के अनुसार वरिष्ठतम 10 सम्भावित यात्रियों की सूची शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायेंगे।
- 11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत यात्रा (सम्भावित तिथि 26 नवम्बर, 2015) हेतु चार चिकित्सक एवं छः नर्स नामित करते हुए धर्मार्थ कार्य विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 12- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 13- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ३० प्र०।
- 14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-५, ३० प्र० शासन।
- 15- निजी सचिव, मा० मंत्री धर्मार्थ कार्य, ३० प्र०।
- 16- सामान्य प्रशासन विभाग।
- 17- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
बाबूलाल श्रीवास
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**उ0 प्र0 के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासकीय व्यय पर
तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश) एवं रामेश्वरम (तमिलनाडु) तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन पत्र**

- 1- नाम:-
- 2- पिता/पति का नाम:- फोटो
- 3- जनपद का नाम:-
- 4- जन्म तिथि:-
(स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र)
- 5- लिंग:-
- 6- निवास स्थान का पूर्ण पता:-
- 7- मोबाइल नं0:-
- 8- पहचान पत्र:-
- 9:- शारीरिक दक्षता प्रमाण-पत्र:-
- 10- यदि पूर्व में यात्रा की हो तो उसका विवरण:-

स्थान:-

दिनांक:- आवेदक का हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।